भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1901
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

ग्रामीण डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तें

†1901. श्री अमरा राम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने और उन्हें स्थायी कर्मचारी घोषित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी अनुमानित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ग्रामीण डाक कर्मचारियों की संख्या, उनके मासिक वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ अपर्याप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) ग्रामीण डाक कर्मियों, नामतः ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सेवा शर्तों में सुधार करना एक निरंतर प्रक्रिया है और डाक विभाग समय-समय पर इसकी समीक्षा करता रहता है। जीडीएस का नियोजन अंशकालिक आधार पर प्रतिदिन चार से पांच घंटे के लिए किया जाता है और वे अलग नियमावली द्वारा शासित होते हैं जिन्हें जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2020 कहा जाता है। इन्हें केंद्र सरकार की कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत तैयार किया गया है न कि अनुच्छेद 309 के तहत,

जो स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए लागू होता है। अतः जीडीएस को स्थायी कर्मचारियों के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ग्रामीण डाक कर्मियों (जीडीएस) की राज्य-वार संख्या और उनके मासिक वेतन (अर्थात् समय से संबंधित निरंतरता भत्ता स्लैब) तथा जीडीएस पर लागू कार्यमुक्ति (सेवानिवृत्ति) लाभों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। ये टीआरसीए स्लैब और कार्यमुक्ति लाभ देशभर में सभी जीडीएस पर लागू हैं।

*****

<u>अनुबंध-I</u>

“ग्रामीण डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तें” विषय के संबंध में दिनांक 11.02.2026 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1901 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(क) ग्रामीण डाक कर्मियों (जीडीएस) की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	राज्य में कार्यरत ग्रामीण डाक कर्मियों (जीडीएस) की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	17610
2	अरुणाचल प्रदेश	1962
3	असम	7680
4	बिहार	15585
5	छत्तीसगढ़	8151
6	गोवा	284
7	गुजरात	14126
8	हरियाणा	4462
9	हिमाचल प्रदेश	5738
10	झारखंड	7164
11	कर्नाटक	15317
12	केरल	10014
13	मध्य प्रदेश	16879
14	महाराष्ट्र	18468
15	मणिपुर	1687
16	मेघालय	1746
17	मिजोरम	984
18	नागालैंड	979
19	ओडिशा	18347
20	पंजाब	5648
21	राजस्थान	14544
22	सिक्किम	366
23	तमिलनाडु	20456
24	तेलंगाना	9676
25	त्रिपुरा	1451
26	उत्तर प्रदेश	29695
27	उत्तराखंड	5616
28	पश्चिम बंगाल	16436

(ख) ग्रामीण डाक कर्मियों (जीडीएस) के मासिक वेतन (अर्थात् समय से संबंधित निरंतरता भत्ता स्लैब) का विवरण

1. शाखा पोस्टमास्टर [पांच घंटे का कार्य] : 14,500 रुपए से 35,480 रुपए + महंगाई भत्ता

2. शाखा पोस्टमास्टर [चार घंटे का कार्य] : 12,000 रुपए से 29,380 रुपए + महंगाई भत्ता

3. सहायक शाखा पोस्टमास्टर/ डाक सेवक [पांच घंटे का कार्य] : 12,000 रुपए से 29,380 रुपए + महंगाई भत्ता

4. सहायक शाखा पोस्टमास्टर/ डाक सेवक [चार घंटे का कार्य] : 10,000 रुपए से 24,470 रुपए + महंगाई भत्ता

(ग) जीडीएस पर लागू कार्यमुक्ति (सेवानिवृत्ति) लाभों में जीडीएस ग्रेच्युटी, पृथक्करण राशि, सेवा कार्यमुक्ति लाभ योजना और जीडीएस समूह बीमा योजना शामिल हैं।